**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 464/2026

Bheeka Ram S/o Chotha Ram, Aged About 54 Years, Resident Of Jatiyawas, Police Station Dangiyawas, Jodhpur, Rajasthan. (At Present Lodged At Central Jail, Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Firoz Khan |
| For Respondent(s) | : | Mr. Prem Singh Panwar, PP<br>Mr. Vasudev Gaur |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Order**

**26/02/2026**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना उदय मन्दिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 322/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 467, 468 व 471 भारतीय दंड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 21.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने रणछोड़राम की कूटरचित पॉवर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग कर परिवादी के पक्ष में विवादित भूमि का बेचान किया है, चूंकि रणछोड़राम की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण परिवादी के साथ धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में एक प्रकरण पंजीबद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 420, 467, 468 व 471 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त से अब कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भीखाराम पुत्र श्री चौथाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 322/2025, पुलिस थाना उदय मन्दिर,**

**जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

**(ASHUTOSH KUMAR),J**

14-Nitin jagtiani/-